

**कार्यालय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**  
**आदेश संख्या/सेवा.अराज./ १३५ /३क(२)/नियुक्ति (१० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक ३०/०१/१९**

**विज्ञप्ति/नियुक्ति**

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधिनों के अन्तर्गत सचिव उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुडकी के विज्ञापन संख्या— ५६००/उप्राशिप/एल०टी०भर्ती/२०१४ दिनांक २३-०२-२०१४ (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/१९१९/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.स./२०१८-१९/दिनांक २२.१२.२०१८ द्वारा १० प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान ४४९००-१४२४०० वेतन मैट्रिक्स में स्तर ०७) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ संख्या-१० में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। औपबन्धिक श्रेणी के अभ्यर्थियों का औपबन्धन तभी समाप्त किया जायेगा जब उनके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हो जाय। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

**शाखा:-सामान्य**

क्र.सं	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	विषय	अभ्यर्थी का नाम/पिता/ पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	कार्यरत विद्यालय	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	07 / २२.१२.२०१८	गणित	श्री मनोज हटवाल पुत्र श्री सूर्यमणी हटवाल, ग्राम व पोस्ट-गडोरा, जनपद-चमोली	०१.०१.१९७९	सामान्य	-	102.50	रा.प्रा.वि. नैणी, चमोली	रा.इ.का. बैरासकुण्ड (घाट) चमोली	बी.एड. के सत्यापन/ सही पाये जाने तक औपबन्धिक श्रेणी में रखा गया है
2	08 / २२.१२.२०१८	सामान्य	श्री विरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री नारायण राम, ग्राम-झाँौं, पोस्ट-घाम देवल गनाई, म.न.-२२, तहसील-चौखुटिया, अल्मोड़ा-२६३६५६	०१.०७.१९८२	अनु.जाति	-	105.00	रा.प्रा.वि. चक्करगांव, अल्मोड़ा	रा.इ.का. घाट (घाट) चमोली	-

(महावीर सिंह बिष्ट) ३०.१.१९

मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०स०/सेवा.अराज./ १३८०० - १५ /३क(२)नियुक्ति (१० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक उक्तत्वत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।

5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा./बे.)।

7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।

8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

11. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) | (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में सम्बन्धित विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यूटी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो, तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें। यद्यपि रिक्तियों की गणना में पूर्ण सावधानी बरती गयी है तथापि प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक स्पष्ट रिक्त होने पर ही सम्बन्धित को कार्यभार ग्रहण करवायें। पद रिक्त न होने पर तत्काल अपर निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी कार्यालय को सूचना प्रस्तुत कर दें।

#### प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम)..... पदनाम..... विद्यालय का नाम.....  
 .....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभौति जॉच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु0.....  
 .....पद..... विषय..... को दिनांक .....के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

#### ह०संस्थाध्यक्ष


नाम—

पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदचयुत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि “मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है”, का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट— किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण—करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

14. कार्यालय प्रति।

  
 (महावीर सिंह विष्ट) 30.1.19  
 मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

#### अनुबन्ध—पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा / करुंगी एवं अपने सभी सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा / करुंगी।

ह०

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित  
ह०एवं सील संस्थाध्यक्ष

**कार्यालय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माठशि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**  
**आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ७३३ /३क(२)/नियुक्ति (६० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक ३०/०१/१९**

**विज्ञप्ति/नियुक्ति**

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की के विज्ञापन संख्या— ५६०० /उप्राशिप/एल०टी०भर्ती/२०१४ दिनांक २३-०२-२०१४ (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/१९१९/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./२०१८-१९/दिनांक २२.१२.२०१८ द्वारा ६० प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान ४४९००-१४२४०० वेतन मैट्रिक्स में स्तर ०७) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या—१० में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। औपबन्धन श्रेणी के अभ्यर्थियों का औपबन्धन तभी समाप्त किया जायेगा जब उनके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हो जाय। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जोयेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

**(शाखा:-सामान्य)**

क्र.सं	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	विषय	अभ्यर्थी का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उप श्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01 / 22.12.2018	अंग्रेजी	श्री अमित कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार, वार्ड नं०-१९, खेड़ा उत्तरी (वाल्मीकि कालोनी), अम्बेडकर पार्क के पास, पो०- रुद्रपुर, उधमसिंहनगर-२६३१५३	18.05.1989	उधमसिंह नगर	अनु.जाति	-	88.50	रा.इ.का. बनचौरा (चिन्यालीसौड) उत्तरकाशी	-
2	02 / 22.12.2018	गणित	श्रीमती अनामिका रत्नौड़ी पुत्री श्री चन्द्रमोहन रत्नौड़ी, १५०६२ शान्ति विहार, गोविन्दगढ़, जनपद-देहरादून	15.02.1982	टिहरी गढ़वाल	सामान्य	महिला	97.00	रा.इ.का. चन्द्रेश्वरसैण (जाखणीधार) टिहरी	-
3	03 / 22.12.2018	विज्ञान	श्री मन्दीप सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, ग्राम-बोरगांव, पो०- संगलाकोटी, पटटी- गुराडस्यू, थाना-सतपुली, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, पिन कोड- २४६१७२	30.06.1991	पौड़ी गढ़वाल	अनु.जाति	-	89.00	रा.इ.का. सकनोलीखाल (पोखड़ा) पौड़ी	-
4	04 / 22.12.2018	सामान्य	कु० पुष्पा पुत्री श्री कुँवर सिंह, ग्राम-दूती बगड़ पो०आ०- जौलजीबी, तह०- धरचूला, जनपद- पिथौरागढ़- २६२५४४	28.06.1977	पिथौरागढ़	अनु.जन. जाति	महिला	114.00	रा.इ.का. सिद्धपुर ढौटियाल (जयहरीखाल) पौड़ी	-
5	05 / 22.12.2018	कला	श्री गिरीश चन्द्र पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम व पो०- सोनला, जनपद- चमोली, पिन कोड- २४६४२४	03.05.1986	चमोली	अनु.जाति	-	88.00	रा.इ.का. ईराणी (दशोली) चमोली	-



क्र.सं.	चयन सूची का क्रमांक / तिथि	विषय	अभ्यर्थी का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उप श्रेणी	गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	06 / 22.12.2018	कला	श्री कैवर सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह, ग्राम—नौकराग्रन्त पो०— बुगावाला, जनपद— हरिद्वार, पिन कोड— 247662	17.06.1986	हरिद्वार	अनु.जाति	-	88.00	रा.उ.मा.वि. चौरखाल (पाबाँ) पौड़ी	-

(महावीर सिंह बिष्ट) 30.1.19  
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/सेवा.अराज./ 13775- ७७ /३क(२)/नियुक्ति (६० प्रति.)/2018-19/दिनाक उक्तांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्ति/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संसोधन) सेवा नियमावली-2014 में सम्बन्धित विषय हेतु विहित अर्हता ( विद्यालयी शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो/ सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-२ अथवा सी.टी.ई.टी.-२ उत्तीर्ण न हो/अभ्यर्थी की आयु दिनाक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें। यद्यपि रिक्तियों की गणना में पूर्ण सावधानी बरती गयी है तथापि प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक स्पष्ट रिक्त होने पर ही सम्बन्धित को कार्यभार ग्रहण करवायें। पद रिक्त न होने पर तत्काल अपर निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी कार्यालय को सूचना प्रस्तुत कर दें।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....  
 विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त  
 शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण—पत्रों की भलीभौति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए  
 हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कुमा...पद.....  
 विषय.....को दिनांक .....के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा  
 दिया है।

ह0संस्थाध्यक्ष

नाम—

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र, स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण—पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण—पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र, विवाहित होने की रिथ्ति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण—पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण—पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि “मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है”, का प्रमाण—पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

नोट— किसी भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति एवं अन्य प्रमाण—पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण—करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

13. कार्यालय प्रति।

  
30.1.19  
(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध—पत्र

मैं अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी  
 श्री.....सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा  
 घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का  
 पालन करुंगा / करुंगी एवं अपने सभी सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा  
 / करुंगी।

ह0

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0एवं सील संस्थाध्यक्ष